# अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

## (हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.1-1/2022-हिं.अ.

दिनांक: 20.12.2022

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
20 DEC 2022
समय / Time 4114
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi-29

## आदेश

**विषय: माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के किए गए राजभाषायी निरीक्षण के दौरान संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासनों पर अनुपालनात्मक कार्रवाई करने संबंधी।**

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 30.06.2022 को संस्थान का राजभाषायी निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान समिति को संस्थान द्वारा जो आश्वासन दिए गए थे उन पर संस्थान द्वारा अनुपालनात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति को संस्थान द्वारा दिए गए उक्त आश्वासनों पर संस्थान के विभिन्न अनुभागों/विभागों/केंद्रों द्वारा निम्नानुसार अनुपालनात्मक कार्रवाई की जानी अनिवार्य है:-

| क्र.सं. | माननीय संसदीय राजभाषा समिति को संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासन | संस्थान के विभिन्न अनुभागों/विभागों/केन्द्रों द्वारा की जाने वाली अनुपालनात्मक कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1. | हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी पदाधिकारियों से शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में लेना सुनिश्चित किया जाएगा **(आश्वासन सं. 1)**। | इस आश्वासन की पूर्ति हेतु संस्थान के सभी प्रशासनिक/लेखा/भंडार अनुभाग आदि सहित सभी विनिर्दिष्ट अनुभागों द्वारा संस्थान में लागू सभी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। |
| 2. | उप सचिव/समकक्ष एवं उससे उच्चतर स्तर के अधिकारियों द्वारा कम से कम 65% श्रुतलेख हिंदी में दिया जाएगा **(आश्वासन सं. 2)**। | इस आश्वासन की पूर्ति हेतु संस्थान में लागू वार्षिक हिंदी डिक्टेशन प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाते हुए उप सचिव/समकक्ष एवं उससे उच्चतर स्तर के सभी संकाय/अधिकारियों द्वारा भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-2023 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कम से कम 65% श्रुतलेख हिंदी में दिया जाए। |
| 3. | कार्यालय में प्रयुक्त सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएंगी **(आश्वासन सं. 3)**। | इस संदर्भ में सभी प्रशासनिक/लेखा/भंडार अनुभागों आदि सहित सभी विनिर्दिष्ट अनुभागों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से हिंदी में की जाएं। |



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | 'क' और 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे **(आश्वासन सं. 4)**। | इस संदर्भ में सभी प्रशासनिक/लेखा/भंडार अनुभागों आदि सहित सभी विनिर्दिष्ट अनुभागों द्वारा अनुवाद का कम से कम सहारा लेते हुए 'क' और 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने हेतु अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं। |
| 5. | मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा **(आश्वासन सं. 5)**। | इस संदर्भ में सभी प्रशासनिक/लेखा/भंडार अनुभागों आदि सहित सभी विनिर्दिष्ट अनुभागों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए तथा भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-2023 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए जाएं। |
| 6. | कार्यालय में प्रयोग में आने वाले कंप्यूटरों पर हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रतिशतता बढ़ाई जाएगी **(आश्वासन सं. 6)**। | इस आश्वसन की पूर्ति हेतु कंप्यूटर सुविधा द्वारा संस्थान के सभी कंप्यूटरों में हिंदी में काम करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और संस्थान में लागू हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन भत्ता योजना का लाभ उठाते हुए संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में कार्यरत हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों से हिंदी टंकण/आशुलिपि का कार्य करवाया जाए। |
| 7. | कंप्यूटर प्रणाली पर हिंदी में प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्य का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और कंप्यूटरों पर समस्त कार्य हिंदी में करना सुनिश्चित किया जाएगा **(आश्वासन सं. 7)**। | इस आश्वसन की पूर्ति हेतु संस्थान में कंप्यूटरों पर हिंदी में प्रशिक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्य का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए तथा प्रशिक्षण उपारांत अपना अधिकांश कामकाज हिंदी में किया जाए और संस्थान में लागू हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए आशुलिपिकों/ कर्मचारियों आदि को प्रोत्साहित किया जाए। |
| 8. | हिंदी टाइपिंग/ आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों से हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि का कार्य करवाया जाएगा (आश्वासन सं. 8)। | इस आश्वासन के संबंध में संस्थान के सभी विभाग/ अनुभाग अध्यक्षगण/केन्द्र प्रमुखगण अपने यहां कार्यरत आशुलिपिकों/ कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों आदि को राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत अनिवार्य हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामांकित करने हेतु अपने कर्मचारियों के नाम हिंदी अनुभाग को भेजें।<br><br>इसके अतिरिक्त सभी हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को निदेश दिए जाएं कि कार्यालय में |



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | | समय मिलते ही अपने-अपने कंप्यूटरों पर हिंदी टंकण/आशुलिपि की प्रैक्टिस करते रहें और स्वयं को हिंदी टंकण/ आशुलिपि कार्य के लिए तैयार रखें और संबंधित अधिकारियों की आवश्यकता अनुसार हिंदी टंकण/ आशुलिपि कार्य निष्पादन उपलब्ध कराएं। |
| 9. | एम्स के वृहत कार्यक्षेत्र को देखते हुए केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संयुक्त निदेशक स्तर के समकक्ष पद का सृजन कर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा तथा वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, हिंदी अधिकारी एवं अनुवादकों के अतिरिक्त पदों का सृजन कर पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएंगे और इसकी सूचना समिति सचिवालय को भी दी जाएगी **(आश्वासन सं. 9)**। | इस संदर्भ में हिंदी अनुभाग द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए जिस पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती) द्वारा आवश्यक अनुपालनात्मक कार्रवाई अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाए। |
| 10. | हिंदी पुस्तकों की खरीद बढ़ाई जाएगी और भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य इसी वर्ष पूरा किया जाएगा **(आश्वासन सं. 10)**। | इस संबंध में बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर कुल बजट का 50% खर्च किया जाए और हिंदी की सरल रोचक और ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें खरीदी जाएं तथा भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-2023 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को इसी वर्ष प्राप्त किया जाए। |
| 11. | कार्यालय द्वारा प्रयुक्त सभी सेवा अभिलेखों/सेवा पुस्तिकाओं में समस्त प्रविष्टियां हिंदी में की जाएंगी **(आश्वासन सं. 11)**। | इस आश्वासन के संबंध में संस्थान के सभी संबंधित स्थापना अनुभागों द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं/ सेवा अभिलेखों में प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से हिंदी में की जाएं। |
| 12. | साक्षात्कार हेतु भेजे गए पत्र में जानकारी दी जाएगी कि आवेदक किसी भी भाषा में साक्षात्कार दे सकते हैं **(आश्वासन सं. 12)**। | इस संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ/परीक्षा अनुभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी भर्ती/पदोन्नति परीक्षाओं/ साक्षात्कारों में हिंदी माध्यम के प्रयोग का विकल्प भी दिया जाए तथा इस विकल्प का उल्लेख तत्संबंधी विज्ञापनों, अभ्यर्थियों को भेजे जाने वाले परीक्षा/ साक्षात्कार के पत्रों में भी लिखित रूप में किया जाए। |
| 13. | कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से एवं समान अंतराल पर आयोजित की जाएंगी **(आश्वासन सं. 13)**। | संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें हिंदी अनुभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से एवं समान अंतराल पर आयोजित की जाएं। |



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | सभी प्रकार की विभागीय बैठकों/ सम्मेलनों/ संगोष्ठियों आदि की कार्यसूची/ कार्यवृत द्विभाषी जारी किए जाएंगे **(आश्वासन सं. 14)**। | इस संबंध में संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों/ केन्द्रों द्वारा सभी प्रकार की विभागीय बैठकों/ सम्मेलनों/ संगोष्ठियों आदि की कार्यसूची/कार्यवृत्त अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाएं। |
| 15. | कार्यालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सभी मानक मसौदों को भी यथाशीघ्र हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा **(आश्वासन सं. 15)**। | इस संबंध में संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों/ केन्द्रों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सभी मानक मसौदे अनिवार्य रूप से हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में प्रयोग में लाए जाएं। |
| 16. | कार्यालय द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार पर किया गया व्यय निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा **(आश्वासन सं. 19)**। | इस संबंध में संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों/ केन्द्रों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार पर किए जाने वाले कुल व्यय का 50% हिंदी विज्ञापनों पर व्यय किया जाए। |

अतः उपर्युक्तानुसार माननीय संसदीय राजभाषा समिति को संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासनों संबंधी उक्त आदेशों का संबंधित विभाग/अनुभाग/केन्द्र द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

श्रीनिवास

**(डॉ. एम. श्रीनिवास)**
**निदेशक**

**<u>वितरण</u>:- अनुपालनकर्ता सभी विनिर्दिष्ट विभाग/अनुभाग/केन्द्र।**

**<u>प्रतिलिपि</u>:-**

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/ वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- सभी वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी/सहायक प्रशासन अधिकारी।
- सभी वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी।
- सभी वरिष्ठ भण्डार अधिकारी/भण्डार अधिकारी/सहायक भण्डार अधिकारी।
- प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा।
- सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग।
- मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय।
- प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा - कृपया इस आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

श्री अंकिता
पूजा
20/12

नोटः
- 'क' क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य तथा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य सम्मिलित हैं।
- 'ख' क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- 'ग' क्षेत्र में वे सभी राज्य सम्मिलित हैं जो 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं है।

Scanned with CamScanner